

19.11.2024:-पत्रावली पेशी में ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में कोई कार्यवाही नहीं कि जा रही है वादी अधिवक्ता को बार बार नोट करवाया गया। उपस्थित नहीं आए। वादी व अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असाहजन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

01/2
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

